

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग  
।। अधिसूचना ।।

पटना-01, दिनांक-04/4/25

सं०सं०-1/प्रशि० निजी-28/2024.....04...../ श्री बबलू प्रसाद, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 15.01.2025 से दिनांक 31.01.2025 तक कुल 17 दिनों के उपभोगित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. इसके उपरांत इनके अवकाश लेखा में दिनांक 01.02.2025 तक कुल 283 दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Signed by Rajeev Ranjan

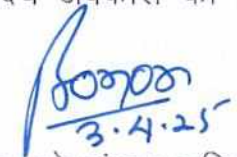
Date: 03-04-2025 14:47:59

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/ प्रशि० निजी-28/2024.....04...../पटना-01, दिनांक-04/4/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/श्री बबलू प्रसाद, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय/आई०टी० प्रबंधक (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना से अनुरोध है कि HRMS के अन्तर्गत Leave Management Module पोर्टल पर शेष आदेय अवकाश की प्रविष्टि कर ली जाय।

  
3.4.25  
सरकार के संयुक्त सचिव